न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 79/2020

1. केशरदेव कुमावत
2. भंवरलाल कुमावत
3. सांवरमल कुमावत पुत्रगण स्व0 बोदूराम कुमावत
4. सोहनी देवी पत्नी स्व0 दुलीचन्द कुमावत
5. छगनलाल
6. किशोरीलाल पुत्रगण स्व0 दुलीचन्द कुमावत
7. हरीप्रसाद कुमावत पुत्र स्व0 भैंरूराम कुमावत
8. गिरधारीलाल कुमावत पुत्र मुन्नाराम कुमावत
9. नारायणलाल कुमावत पुत्र स्व0 पन्नालाल कुमावत
10. मोहनी देवी पत्नी स्व0 रामकुमार
11. विकास कुमार कुमावत
12. विजय कुमार कुमावत पुत्रगण स्व0 रामकुमार समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम दादली पोस्ट चैनपुरा तहसील व जिला सीकर

—वादीगण—

बनाम

1. गीतादेवी पुत्री धूड़ाराम
2. छोटी देवी पत्नी धूड़ाराम
3. जुगल किशोर पुत्र धूड़ाराम
4. बिमला
5. सुलोचना पुत्रीयां धुड़ाराम
6. जगदीश प्रसाद
7. गौरूराम
8. ताराचन्द पुत्रगण रामेश्वर
9. लिछमी देवी पत्नी रामेश्वर
10. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
11. नरसी
12. प्रभू पुत्रगण भैरू

Scanned with Oken Scanner

13. पदमाराम पुत्र बिड़दू
14. भंवरी देवी पत्नी पेमाराम पुत्र बिड़दू
15. विनोद कुमार दत्तक पुत्र पेमाराम
16. भूदा पुत्र बिड़दू
17. परताराम पुत्र श्यामलाल
18. बनारसी देवी पत्नी बलदेवाराम
19. हितेश पुत्र बलदेवाराम
20. बाबूलाल पुत्र कालूराम
21. मनोहरलाल पुत्र कालूराम
22. गिरधारी
23. प्रहलाद
24. सुखदेव पुत्रगण भूणाराम पुत्र सुरजाराम
25. मूलचंद पुत्र सुरजाराम
26. रिछपाल
27. अमरचंद पुत्रगण पन्नाराम
28. पोखरमल पुत्र भागाराम
29. दिनेश पुत्र रामनिवास पुत्र भागाराम
30. सोनू पत्नी रामनिवास पुत्र भागाराम
31. रूपचंद पुत्र रताराम
32. मदनलाल पुत्र कानाराम
33. मंजू पुत्र कानाराम
34. महेन्द्र पुत्र कानाराम
35. महावीर प्रसाद पुत्र कानाराम
36. मूनाराम पुत्र हणमान
37. पिदमण पुत्र मंगला
38. विनोद
39. प्रकाश
40. इन्द्रचन्द पुत्रगण मोटूराम
41. मिसरी देवी पत्नी माटूराम समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम दादली पोस्ट चैनपुरा तहसील व जिला सीकर
42. हल्का पटवारी चैनपुरा तहसील व जिला सीकर
43. तहसीलदार सीकर

– प्रतिवादीगण –

Scanned with Oken Scanner

वाद बाबत उदघोषणा, बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88, 53 188 रा.का.अ. एवं 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –वकील वादीगण– श्री ताराचन्द यादव
वकील प्रतिवादीगण – [illegible]

निर्णय

दिनांक 12·12·2022

वकील वादीगण ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम दादली तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 599,601 व 603 अवस्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 41 इन भूमियों के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियो म ख0न. 599 मौके पर कुआं की सहारण के रूप में उपयोग में आ रही भूमि का है। ख0 नं0 601 रास्ते के रूप में काम आ रहा है। इस सबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 603 मौके पर घनी आबादी के रूप में घीरा हुआ है। जो पूर्णतया आबाद भूमि है। मौके पर वादीगण ने पुख्ता मकान एवं बाड़े बना रखें हैं। ख0 नं0 603 पर अकेले वादीगण पुख्ता मकान बना कर आबाद हैं। जिस पर प्रतिवादीगण को भी कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 41 जो वादीगण के सजरा खानदान में है जिनको बाहमी बंटवारे में अलग से कृषि भूमियां प्राप्त हुई है परन्तु उस समय मौके पर विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। इसलिये वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम उदघोषित करवाने के अधिकारी हैं। वर्तमान में भूमियों की किमते बहूत बढ गई है जिसके कारण प्रतिवादीगण के मन में बईमानी आ गई है वह भूमियों को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमियों में से खसरा नम्बर 603 रकबा 0.3500 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 41 का नाम हजफ किया जावे एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 41 जरिये वकील उपस्थित रहे। इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में वादी के आवेदन एवं ईकबाली जवाबदावा के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर

12·12·2022

Scanned with Oken Scanner

तहसीलदार सीकर से रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2021/3089 दिनांक 15.7.2021 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ख0नं0 599 पूर्व में कुआं था जिसे नष्ट किया जा चुका है तथा भूमि मौके पर खाली है। ख0 नं0 601 मौके पर रास्ते के काम आ रही है। ख0नं0 635 में मौके पर आवासीय मकान बने हुऐ है काश्त के काम नहीं आ रही है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार विवादित भूमियों का बंटवारा किया जाना संभव नहीं है। खसरा संख्या 603 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 41 का नाम हजफ किये जाने की सहायता वादीगण ने चाही है जिसे इकबाली जवाब में प्रतिवादी संख्या 1 से 41 ने स्वीकार किया है। यह सहायता वादीगण को नहीं दी जा सकती है क्योंकि वादीगण ने एसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया है जिससे वादीगण का कथन प्रमाणित होता हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण भूमि खसरा नम्बर 599, 601 व 603 वाके ग्राम चैनपुरा का प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

Scanned with Oken Scanner